


प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। (Through email)
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. शासकीय अभिभाषक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(महेश कुमार शर्मा)

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

01

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.


क्रमांक.....5...../सा.अनु./2020

झाबुआ, दिनांक 25 मार्च, 2020

विविध कार्यालयीन आदेश

कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन होने के फलस्वरूप माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्र. क्यू-5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 के पालन में दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक की अवधि के लिए न्यायिक जिला झाबुआ के न्यायालयों में अकार्य-दिवस घोषित किया जाता है। न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेधित किया जाता है।

न्यायालय में अतिआवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति से ही किये जाने हेतु एवं ऐसी अनुमति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ से प्राप्त करने के लिए श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी, झाबुआ से सम्पर्क किया जा सकता है, उनका मोबाईल नंबर 9406659922 है तथा उनकी ई-मेल आईडी dinesh7816@gmail.com है।



(महेश कुमार शर्मा)

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

0/c